RNI No. MAHBIL /2009/31730

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक ६] बुधवार, मार्च ४, २०२६/फाल्गुन १३, शके १९४७ [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ९

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक **४ मार्च, २०२६** ई.को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम **११७** के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

L. A. BILL No. VII OF 2026.

A BILL

TO AMEND THE MAHARASHTRA LIFT'S, ESCALATORS AND MOVING WALKS ACT, 2017.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ७ सन् २०२६।

महाराष्ट्र लिफ़्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक अधिनियम, २०१७ में संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

सन २०१८ का महा. १५।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र लिफ़्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक अधिनियम, २०१७ में संशोधन करना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र लिफ़्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक (संशोधन) अधिनियम, २०२६ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

सन् २०१८ का महा. १५ में 'इलेक्ट्रिक निरीक्षक (लिफ़्ट)' और सहायक इलेक्ट्रीक निरीक्षक (लिफ़्ट) के शब्दों के स्थान में, 'इलेक्ट्रिकल निरीक्षक' और 'सहायक इलेक्ट्रिकल निरीक्षक' शब्दों की प्रतिस्थापना।

२. संपूर्ण महाराष्ट्र लिफ़्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक अधिनियम, २०१७ में (जिसे इसमें आगे, 'मूल अधिनियम' कहा गया है) में, इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से यथा अन्यथा संशोधित के सिवाए :— सन् २०१८ का महा. १५।

(१) "इलेक्ट्रिक निरीक्षक (लिफ़्ट)" शब्दों के स्थान में, जहाँ कही वे आए हो "इलेक्ट्रिक निरीक्षक" शब्द रखे जाएंगे;

(२) "सहायक इलेक्ट्रिकल निरीक्षक (लिफ़्ट)" शब्दों के स्थान में, जहाँ कही वें आए हों, "सहायक इलेक्ट्रिकल निरीक्षक" शब्द रखे जाएंगे।

सन् २०१८ का महा. १५ की धारा २ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा २ के,—

(१) खण्ड (ठ) में, "कारखाना अधिनियम, १९४८" शब्दों और अंको के स्थान में सन् १९४८ का ६३। "व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य, कार्यदशा संहिता २०२०" शब्द और अंक रखे जाएंगे; सन् २०२० का ३७।

(२) खण्ड (म) के पश्चात्, निम्न खण्ड जोडा जाएगा, अर्थात् :—

"(य) "अधीक्षण इंजीनियर" का तात्पर्य, धारा ३ के अधीन सरकार द्वारा अधीक्षकइंजीनियर के रूप में नियुक्त व्यक्ति, से है।" ।

सन् २०१८ का महा. १५ की धारा ३ में संशोधन।

४. मुख्य अधिनियम की धारा ३ की,—

(१) उप-धारा (१) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क-१) अधीक्षक अभियंता;";

(२) उप-धारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धाराएँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात् :—

"(२) मुख्य विद्युत निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए अधिकारों का उपयोग करेगा और कृत्यों का अनुपालन करेगा तथा तद्धीन नियंत्रण, निगरानी और समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा।

(२क) इस प्रकार नियुक्त अधिक्षक अभियंता, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के साथ अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर विद्युत निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करेगा।";

(३) पार्श्व टिप्पणी में, "मुख्य विद्युत निरीक्षक" शब्दों के पश्चात् "अधीक्षक अभियंता" शब्द निविष्ट किए जाएंगे।

सन् २०१८ का महा. १५ की धारा ४ में संशोधन।

५. मुख्य अधिनियम की धारा ४ की,—

(१) उप-धारा (३) में, "मुख्य विद्युत निरीक्षक" शब्द जहाँ कहीं भी आते हैं, वहाँ उनके स्थान पर "अधीक्षक अभियंता" शब्द रखे जाएँगे;।

(२) उप-धारा (४) में, "मुख्य विद्युत निरीक्षक"शब्दों के स्थान में, "अधीक्षक अभियंता" शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०१८ का महा. १५ की धारा ५ में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा ५ की,—

(१) उप-धारा (२) में, "मुख्य विद्युत निरीक्षक" शब्दों के स्थान पर, "अधीक्षक अभियंता" शब्द रखे जाएंगे;

(२) उप-धारा (३) में, "मुख्य विद्युत निरीक्षक" शब्दों के स्थान पर, "अधीक्षक अभियंता" शब्द रखे जाएंगे;

(३) उप-धारा (५) में, "मुख्य विद्युत निरीक्षक" शब्दों के स्थान पर, "अधीक्षक अभियंता" शब्द रखे जाएंगे।

७. मुख्य अधिनियम की धारा ७ की,— सन् २०१८ का महा. १५ की धारा ७ में संशोधन।

(१) उप-धारा (३) में, "मुख्य विद्युत निरीक्षक" शब्द दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं भी आते हैं, वहाँ उनके स्थान पर, "अधीक्षक अभियंता" शब्द रखे जाएँगे;

(२) उप-धारा (४) में, "मुख्य विद्युत निरीक्षक" शब्दों के स्थान पर, "अधीक्षक अभियंता" शब्द रखे जाएंगे।

८. मूल अधिनियम की धारा ८ की,— सन् २०१८ का महा. १५ की धारा ८ में संशोधन।

(१) उप-धारा (२) में "विद्युत निरीक्षक (लिफ़्ट)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "अधीक्षक अभियंता" शब्द रखे जाएंगे;

(२) उप-धारा (५) में "विद्युत निरीक्षक (लिफ़्ट)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "अधीक्षक अभियंता" शब्द रखे जाएंगे।

९. मूल अधिनियम की धारा १० में, "विद्युत निरीक्षक (लिफ़्ट)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "अधीक्षक अभियंता" शब्द रखे जाएंगे। सन् २०१८ का महा. १५ की धारा १० में संशोधन।

सन् १८६० का ४५। सन् २०२३ का ४५।

१०. मूल अधिनियम की धारा १५ की, उप-धारा (५) के, उप-खंड (ख) में, "भारतीय दंड संहिता की धारा १७६" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "भारतीय न्याय संहिता, २०२३ की धारा २११" शब्द और अंक रखे जाएंगे। सन् २०१८ का महा. १५ की धारा १५ में संशोधन।

११. मूल अधिनियम की धारा १९ में, "मुख्य विद्युत निरीक्षक" शब्दों के स्थान पर, "अधीक्षक अभियंता" शब्द रखे जाएंगे। सन् २०१८ का महा. १५ की धारा १९ में संशोधन।

१२. मूल अधिनियम की धारा २० की,— सन् २०१८ का महा. १५ की धारा २० में संशोधन।

(१) उप-धारा (१) में,—

(क) "मुख्य विद्युत निरीक्षक" शब्दों के स्थान पर, "अधीक्षक अभियंता" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "मुख्य विद्युत निरीक्षक" शब्द रखे जाएंगे;

(२) उप-धारा (२) के स्थान पर निम्न उप-धारा रखी जाएगी,

अर्थात् :—

"(२) अधीक्षक अभियंता द्वारा धारा ८ की उप-धारा (५) के अधीन दिए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिनों के भीतर मुख्य विद्युत निरीक्षक के पास अपील दायर कर सकेगा।

(३) अधीक्षक अभियंता के आदेश के विरुद्ध मुख्य विद्युत निरीक्षक के समक्ष धारा २१ की उप-धारा (१) के अधीन कोई अपील दायर की गई हो तो भी अधीक्षक अभियंता द्वारा लिफ़्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक के उपयोग को बंद करने का आदेश तब तक मान्य होगा जब तक कि, मुख्य विद्युत निरीक्षक ने ऐसे आदेश पर रोक न लगा दी हो।

(४) मुख्य विद्युत निरीक्षक व्दारा दिए गए किसी आदेश व्दारा व्यथित कोई व्यक्ति राज्य सरकार को अपील प्रस्तुत कर सकेगा, और उसपर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।"।

सन् २०१८ का महा. १५ की धारा २१ में संशोधन।

१३. मूल अधिनियम की धारा २१ की,—

(१) उप-धारा (१) में, "विद्युत निरीक्षक (लिफ़्ट)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "अधीक्षक अभियंता" शब्द रखे जाएंगे;

(२) उप-धारा (२) में, "विद्युत निरीक्षक (लिफ़्ट)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "अधीक्षक अभियंता" शब्द रखे जाएंगे।

सन् २०१८ का महा. १५ की धारा २२ में संशोधन।

१४. मूल अधिनियम की धारा २२ की,—

(१) उप-धारा (१) में, "विद्युत निरीक्षक (लिफ़्ट)" शब्द और कोष्ठक जहाँ कहीं भी वे दोनों स्थानों में आते हैं, के स्थान पर "अधीक्षक अभियंता" शब्द रखे जाएँगे;

(२) उप-धारा (२) में, "सरकार को जिसका निर्णय अंतिम होगा" शब्दों के स्थान पर, "मुख्य मुख्य विद्युत निरीक्षक ऐसी अपील का निर्णय तीस दिनों के भीतर करेगा" शब्द रखे जाएंगे।

सन् २०१८ का महा. १५ की धारा २७ में संशोधन।

१५. मूल अधिनियम की धारा २७ में, "विद्युत निरीक्षक (लिफ़्ट)" शब्दों और कोष्टकों के स्थान पर, "अधीक्षक अभियंता" शब्द रखे जाएंगे।

सन् २०१८ का महा. १५ की धारा २९ में संशोधन।

१६. मूल अधिनियम की धारा २९ में, "मुख्य विद्युत निरीक्षक" शब्दों के पश्चात् "अधीक्षक अभियंता" शब्द निविष्ट किए जाएंगे।

सन् २०१८ का महा. १५ की धारा ३५ में संशोधन।

१७. मूल अधिनियम की धारा ३५ में, "मुख्या विद्युत निरीक्षक" शब्दों के पश्चात् "अधीक्षक अभियंता" शब्द निविष्ट किए जाएंगे।

सन् २०१८ का महा. १५ की धारा ३७ में संशोधन।

१८. मूल अधिनियम की धारा ३७ की, उप-धारा(२) के खंड (क) मैं, "मुख्य विद्युत निरीक्षक" शब्दों के पश्चात् "अधीक्षक अभियंता" शब्द निविष्ट किए जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र लिफ़्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक अधिनियम, २०१७ (सन २०१८ का महा. १५) महाराष्ट्र राज्य में सभी प्रकार की लिफ़्टों, एस्केलेटरों, मूविंग वॉक और उनसे संबंधित सभी यंत्रणाओं और उपकरणों के निर्माण, स्थापना, रखरखाव और सुरक्षित संचालन के विनियमन तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है।

२. उक्त अधिनियम में, मुख्य विद्युत निरीक्षक को महाराष्ट्र राज्य के संपूर्ण क्षेत्रों में लिफ़्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक के संचालन या उपयोग के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार निहित है और उक्त अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन के मामलों में ऐसे लाईसेंसों को निलंबित या रद्द करने का भी अधिकार है। उक्त अधिनियम की धारा ३ की, उप-धारा (२) में यह भी उपबंध किया है कि, मुख्य विद्युत निरीक्षक संपूर्ण राज्य में विद्युत निरीक्षक (लिफ़्ट) के अधिकार का भी उपयोग कर सकता है।

राज्य में लिफ़्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉकिंग वॉक की संख्या में वृद्धि के कारण मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय पर अत्यधिक कार्यभार है। सार्वजनिक सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, लिफ़्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक के संचालन या उपयोग के लिए, लाईसेंस जारी करने की सेवाएं क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसलिए, सरकार ने, क्षेत्रीय स्तर पर अधीक्षक अभियंताओं को उनके अधिकार क्षेत्र में लाईसेंस जारी करने का कार्यभार सौंपना आवश्यक समझा गया है।

३. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में लाइसेंस जारी करने से पहले लिफ़्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक के निरीक्षण और उसके आवधिक निरीक्षण का अधिकार विद्युत निरीक्षकों (लिफ़्ट) को दिया गया हे। लिफ़्ट, एस्कलेटर और मूविंग वॉक का सावधानीपूर्वक निरीक्षण जन सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, इसलिए, समय पर निरीक्षण सेवाएँ प्रदान करना आवश्यक है। अतः सरकार ने निरीक्षण प्रभाग जैसा की विनिर्दिष्ट करे ऐसे प्रत्येक जिले में विद्युत निरीक्षकों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में लाईसेंस देने के पूर्व लिफ़्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक निरीक्षण, और उसके आवधिक निरीक्षण का अधिकार प्रदान करना आवश्यक समझा गया है। उपरोक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र लिफ़्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक अधिनियम, २०१७ में यथोचित संशोधन किया गया है।

४. इस अवसर पर, भारतीय दंड संहिता (सन् १८६० का ४५) और कारखाना अधिनियम, १९४८ (सन् १९४८ का ६३) के संदर्भ को क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (सन् २०२३ का ४५) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, २०२० (सन् २०२० का ३७) से प्रतिस्थापित करने के लिए परिणामीक संशोधन भी किए जा रहे हैं।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २८ फरवरी, २०२६।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री।

प्रत्यायुक्त विधानसंबंधी ज्ञापण।

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त हैं, अर्थात्:—

खंड १(२).—इस खंड के अधीन, राज्य सरकार को **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा जिस दिनांक को यह अधिनियम प्रवृत्त होगा उस दिनांक को नियत करने का अधिकार दिया गया है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के हे।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित ४ मार्च, २०२६।

जितेंद्र भोळे,
सचिव—१,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.